

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-47 / 2012
संस्थित दिनांक- 01.03.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

अमोल सिंह पुत्र पूरन सिंह यादव
उम्र 52 साल निवासी ग्राम बडेरा

.....अभियुक्त

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 16.03.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 279, 338 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 15.01.2012 को समय दिन 03:30 बजे स्थान चंदेरी मुंगावली रोड म्यूजियम के पास बस क्रमांक एम.पी. 08 पी. 0213 का परिचालन उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से कर फरियादी अशोक कुमार की मोटरसाईकिल में टक्कर मार फरियादी अशोक कुमार को बांये पैर में अस्थि भंग कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अशोक कुमार अपनी मोटरसाईकिल से अपने घर बावनी से चंदेरी आ रहा था। म्यूजियम के पास मोड़ पर आया तो सामने से किशोर बस टेवल्स, जिसका पूरा नंबर फरियादी नहीं देखा पाया, नंबर 213 था, बस मुन्नू महाराज की थी। किशोर बस 213 के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर अशोक कुमार की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे बांये पैर के घुटना में जहां पर उसे मुंंदी चोट आई। अशोक कुमार की मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त हो गई। वहां मौके पर प्रहलाद अहिरवार, महेन्द्र कुमार अहिरवार थे, जिन्होंने घटना देखी। फरियादी अशोक कुमार द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-30/2012 अंतर्गत धारा-279, 337, 338 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.01.2012 को समय दिन 03:30 बजे स्थान चंदेरी मुंगावली रोड म्यूजियम के पास बस क्रमांक एम.पी. 08 पी. 0213 का परिचालन उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से किया ?
2.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अशोक कुमार की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर फरियादी अशोक कुमार घोर उपहति कारित की ?
3.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02 व 03 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

05—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों को विवेचन एक साथ किये जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है।

06—अशोक शर्मा (अ0सा0 2) जो कि घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होकर घटना में आहत भी है का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि घटना उसके कथन देने के एक वर्ष पूर्व सक्रांति के समय की थी। दिन में 3-4 बजे वह मोटर साइकिल से ग्राम नावनी से चंदेरी आ रहा था तो म्यूजीयम के पास ढलान पर बस से उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसका पैर टूट गया था और पैर के अलावा घुटने व सिर में भी चोट आई थी तथा उसके पैर में रोड ढली है एवं घटना अभी भी केक है। अशोक शर्मा (अ0सा0 2) का अपने कथनों की कण्डिका-05 में ही कहना है कि उक्त घटना प्रहलाद व सुनील ने देखी थी। अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में प्रहलाद (अ0सा0 1) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं।

07—प्रहलाद (अ0सा0-01) ने भी अपने कथनों में फरियादी के द्वारा न्यायालयीन कथनों में बताई गई घटना की पुष्टि करते हुये कथन दिये हैं कि घटना दिनांक को लगभग 02-03 बजे वह स्वयं मोटर साइकिल से नावनी से पेमेन्ट बाटकर चंदेरी आ रहा था, उससे 40-50 फीट आगे अलग मोटर साइकिल पर फरियादी अशोक कुमार (अ0सा0-02) मोटर साइकिल से था जो चंदेरी आ रहा था तथा रास्ते में ढलान पर बस ने अशोक कुमार (अ0सा0-02) को टक्कर मार दी थी। प्रहलाद (अ0सा0-01) के अनुसार बस स्पीड में थी और जब उसने मौके पर जाकर देखा, तो अशोक कुमार (अ0सा0-02) वहां डला हुआ था और उसका पैर टूटा हुआ था।

08—अशोक कुमार (अ0सा0-02) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में स्पष्ट किया है कि घटना दिनांक को बॉक्सर मोटर साइकिल पर था तो बस ने जो कि रेस में थी सामने

से उसकी मोटर साइकिल में टक्कर मारी थी जिससे वह फिक गया था। प्रहलाद (अ0सा0-01) उसका भाई है जो घटना दिनांक को उसके साथ अस्पताल में था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में यह स्पष्ट किया है कि टक्कर के समय वह मुंगावली के तरफ से आ रहा था और बस चंदेरी की तरफ से आ रही थी। अशोक कुमार (अ0सा0-02) के कथनों की पुष्टि करते हुये प्रहलाद (अ0सा0-01) ने भी अपने कथनों में यह अखण्डित साक्ष्य दी है कि वह घटना के समय वह स्वयं व अशोक कुमार (अ0सा0-02) अलग-अलग मोटर साइकिल से चंदेरी आ रहे थे वह स्वयं सूजीकू मोटर साइकिल से था एवं वह नावनी में कारीगर को पेमेंट बाटकर आ रहे थे तो तेज रफ्तार बस ने उसके भाई की मोटर साइकिल में टक्कर मार दी थी।

09-फरियादी अशोक कुमार (अ0सा0-02) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों उसके प्रतिपरीक्षण में भी आकट्य व अखण्डित रहे हैं, जिनमें कोई तात्विक विरोधाभास की स्थिति नहीं है। फरियादी अशोक कुमार (अ0सा0-02) के न्यायालयीन कथनों की पुष्टि प्रहलाद (अ0सा0-01) ने भी अपने न्यायालयीन कथनों से भी होती है। फरियादी अशोक कुमार (अ0सा0-02) व प्रहलाद (अ0सा0-01) के कथनों में इस संबंध में लैस मात्र भी विरोधाभास नहीं है कि वर्ष 2012 में संक्रान्ति के समय लगभग 03:00 बजे फरियादी अशोक कुमार (अ0सा0-02), प्रहलाद (अ0सा0-01) ग्राम नावनी से चंदेरी अलग-अलग मोटर साइकिल से आ रहे थे तो म्यूजीयम के पास किसी बस ने फरियादी अशोक कुमार (अ0सा0-02) की मोटर साइकिल में टक्कर मार कर उसे घायल कर दिया था, जिसमें अशोक कुमार (अ0सा0-02) का पैर फैंक्चर हो गया था।

10-अभियोजन की ओर से घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी महेन्द्र अहिरवार (अ0सा0-03) के कथन भी न्यायालय में कराये गये हैं। महेन्द्र अहिरवार (अ0सा0-03) ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में घटना की जानकारी होने से भी इंकार किया है इस साक्षी का कहीं यह कहना नहीं है कि उसके सामने अभियुक्त अमोल सिंह ने बस क्रमांक एम.पी. 08 पी. 0213 को उपेक्षा व उताबलेपन से चला कर फरियादी की मोटर साइकिल में टक्कर मारी थी। इस साक्षी ने अपने सामने कोई घटना घटित न होना व्यक्त किया है। परन्तु इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह प्रहलाद के साथ अशोक में जीप में लेकर चंदेरी आया था तथा इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अशोक उसे उस दिन म्यूजीयम के पास फतेहाबाद के टेक पर मिला था। अतः इस साक्षी ने भले ही अभियोजन घटना का समर्थन न किया हो, परन्तु इस साक्षी के द्वारा दिये गये कथनों से यह स्पष्ट होता है कि चंदेरी म्यूजीयम के पास इस साक्षी ने फरियादी अशोक कुमार (अ0सा0-02) को घटना दिनांक को घायल अवस्था में देखा था जिसके बाद वह उसे लेकर चंदेरी अस्पताल आया था।

11-घटना दिनांक 15.01.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में अशोक कुमार (अ0सा0-02) को घायल अवस्था में मेडीकल परीक्षण हेतु लाया गया था तथा मेडीकल परीक्षण में उसके बाये जांघ में नीलगू निशान व बाये घुटने में आगे की ओर हड्डी की गहराई तक एक फटा हुआ घाव था, इसकी पुष्टि आहत अशोक कुमार (अ0सा0-02) का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले साक्षी डॉ० एम०एल० खरका (अ0सा0-04) ने अपने न्यायालयीन कथनों में की है तथा डॉ० एम०एल० खरका (अ0सा0-04) ने अपने कथनों में

न्यायालीन कथनों में की है तथा डॉ० एम०एल० खरका (अ०सा०-०४) ने अपने कथनों में यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त चोटे जो आहत अशोक कुमार (अ०सा०-०२) के शरीर पर उनके द्वारा पाई गई थी, 24 घंटे की अंदर की थी।

12-अभियोजन की ओर से प्रकरण में रेडियो लोजिस्ट डॉ० पंकज सोपान (अ०सा०-०८) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं जिनके द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि दिनांक 24.01.2012 को उनके द्वारा अशोक कुमार (अ०सा०-०२) के बाये पैर की जांघ का एक्सरे परीक्षण किया गया था तो एक्स-रे परीक्षण में यह पाया गया था, कि पैर में पहले से रॉड डली हुई है तथा फीमर हड्डी में अस्थीभंग था तथ प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का स्वयं यह कहना है कि उक्त अस्थीभंग तत्कालिक न होकर पुराना था। यह उल्लेखनीय है कि डॉ० एम०एल० खरका (अ०सा०-०४) के द्वारा दिनांक 15.01.2012 को अशोक कुमार (अ०सा०-०२) को चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसके लगभग 09 दिन बाद दिनांक 24.01.2012 को अशोक कुमार (अ०सा०-०२) का डॉ० पंकज सोपान (अ०सा०-०८) के द्वारा एक्स-रे परीक्षण किया गया। जिससे निश्चित रूप से डॉ० पंकज सोपान (अ०सा०-०८) के द्वारा फरियादी के पैर में पाया गया अस्थि भंग तत्कालिक होने का प्रश्न ही उत्पन्न होता है तथा डॉ० पंकज सोपान (अ०सा०-०८) के स्वयं के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 15.01.2012 को जब डॉ० एम. एल. खरका (अ०सा०-०४) ने फरियादी अशोक कुमार (अ०सा०-०१) का चिकित्सीय परीक्षण किया था तो उसी समय फरियादी के पैर में अस्थि भंग भी था, जो कि घटना दिनांक की थी।

13-डॉ० एम०एल० खरका (अ०सा०-०४) एवं डॉ० पंकज सोपान (अ०सा०-०८) की चिकित्सीय साक्ष्य से भी अशोक कुमार (अ०सा०-०२) के इन कथनों की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक 15.01.2012 की है तथा उक्त दिनांक को उसके घुटने व जांघ में चोटें पाई गई थी जो कि परीक्षण के 24 घण्टे अंदर की थी तथा उक्त चोट में ही उसे अस्थि भंग भी कारित हुआ था। अशोक कुमार (अ०सा०-०२), प्रहलाद (अ०सा०-०१) की घटना के संबंध में प्रत्यक्ष एवं अखण्डित साक्ष्य से इस संबंध में संदेह की स्थिति नहीं रह जाती है कि घटना दिनांक 15.01.2012 को आहत अशोक कुमार (अ०सा०-०२) ग्राम नावनी से बॉक्सर मोटर साइकिल पर जब चंदेरी आ रहा था, तब चंदेरी म्यूजीयम के सामने बस ने जो कि तेज रफ्तार में थी, ने उसकी मोटर साइकिल में टक्कर मार दी थी और उक्त उक्त टक्कर लगने से ही उसे घटना में बाये घुटने में फटा हुआ घाव व बाये जांघ में नीलगू निशान की चोट आई थी तथा पैर में अस्थि भंग भी कारित हुआ था।

14-अब मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि जिस बस ने अशोक कुमार (अ०सा०-०२) की मोटर साइकिल में टक्कर मार कर उसे उपहति कारित की थी वास्तव में उक्त बस एम०पी०-०८ पी. 0213 थी तथा उक्त बस को अभियुक्त ने उपेक्षा व उताबले पन से चलाकर वास्तव में घटना कारित की थी अथवा नहीं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-०७ अशोक कुमार (अ०सा०-०२) के द्वारा पुलिस को दिये गये कथन प्र०डी०-०१ के आधार पर लेख कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, इस बात की पुष्टि स्वयं अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक ओम प्रकाश (अ०सा०-०७) ने अपने कथनों की है। प्र०डी०-०१ के कथन अशोक कुमार (अ०सा०-०२) ने पुलिस को अस्पताल में लिये थे इस बात की पुष्टि स्वयं अशोक कुमार (अ०सा०-०२)

कथनों में यह लेख है कि जिस बस के द्वारा टक्कर मारी गई वह किशोर बस थी, जो मन्नू महाराज की थी जिसका नंबर फरियादी पूरा नहीं देख पाया था, तथा कथनों में उसके द्वारा नंबर मात्र 213 बताया गया था।

15-अतः प्र0डी0-01 के कथन जो कि अपने आप में सारभूत साक्ष्य नहीं हैं, में आहत अशोक कुमार (अ0सा0-02) ने यह कही स्पष्ट नहीं किया है कि जिस बस से एक्सीडेंट हुआ उसका नंबर एम.पी. 08 पी. 0213 था तथा उक्त बस को अभियुक्त अमोल सिंह ही चला रहा था। अशोक कुमार (अ0सा0-02) को अपने न्यायालयीन कथनों में यह अवश्य कहना है कि जिस बस ने उसे टक्कर मारी थी, वह मन्नू महाराज की बस थी तथा बस ड्राइवर का नाम उसके भाइयों ने पता किया था, जो अमोल सिंह था, तथा उसे बाद में पता चला था कि बस नंबर एम0पी0-08 पी. 0213 है परन्तु स्वयं अशोक कुमार (अ0सा0-02) का ही अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में यह स्पष्ट कहना है कि “जब गाडी से टक्कर हुई तो मैं डाइबर को देख पाया कि गाडी कौन चला रहा था, न ही मैं नंबर देख पाया था” इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-06 में कहना है कि “अस्पताल में बहुत से लोग थे उन्होनें गाडी का नंबर और डाइबर का नाम बताया था।”

16-प्रहलाद (अ0सा0-01) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन अवश्य दिये है कि मन्नू महाराज की बस ने अशोक कुमार (अ0सा0-02) को टक्कर मारी थी और उसे अमोल सिंह चला रहा था, परन्तु इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में यह स्पष्ट कहना है कि “मैंने बस स्टेण्ड पर आदमियों से पूछा था तो बस स्टेण्ड पर बताया था कि अमोल डाइबर बस चला कर ले गया था।” प्रहलाद (अ0सा0-01) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-06 में कहना है कि “मैं डाइबर की सलक नहीं देख पाया। मैंने गाडी का नंबर भी नहीं पढ़ पाया। मैंने जब उसकी पूरी जानकारी लगा ली तो उसके बाद उस गाडी के डाइबर का नाम व बस का नंबर बता पाया।”

17-अतः अशोक कुमार (अ0सा0-02) व प्रहलाद (अ0सा0-01) के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में की गई उपरोक्त स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट होता है कि प्रहलाद (अ0सा0-01) व अशोक कुमार (अ0सा0-02) दोनों ही साक्षी इस बिन्दू पर तो घटना के प्रत्यक्ष साक्षी है कि ग्राम नाओनी से वह दोनों घटना दिनांक 15.01.2012 को दिन में लगभग दो तीन बजे जब अलग अलग मोटरसाईकिल से पेमेन्ट बांटर आ रहे थे, तो चंदेरी म्यूजियम के पास अशोक कुमार (अ0सा0-02) की मोटरसाईकिल को तेज रफ्तार से आ रही बस ने टक्कर मारकर उसे उपहति कारित की थी, जो चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्टि हो जाने के बाद गंभीर प्रकृति की होना प्रमाणित होती है।

18-जिस बस ने अशोक कुमार (अ0सा0-02) को घटना दिनांक को टक्कर मारी थी उक्त बस मन्नू महाराज की किशोर बस क्रमांक एम0पी0-08 पी0-0213 थी तथा उसे अभियुक्त अमोल सिंह चला रहा था, इस संबंध में इन दोनों ही साक्षी अशोक कुमार (अ0सा0-02) व प्रहलाद (अ0सा0-01) का कहना है कि उन्होने न तो बस का नंबर देखा था और न ही बस के चालाक को देखा था, बस के नंबर और चालाक की जानकारी उन्हें बाद में अन्य लोगों से प्राप्त हुई थी वहीं महेंद्र अहिरवार (अ0सा0-03) घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करता है।

- 19—अनुसंधानकर्ता अधिकारी ओमप्रकाश (अ0सा0-07) ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि फरियादी के कथनों के आधार पर उसने किशोक बस के चालक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया था, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि स्वयं फरियादी अशोक कुमार (अ0सा0-02) ने अपने कथनों में यह स्वीकार किया है कि उसने न तो बस का नंबर देखा था और न ही यह देखा था कि बस को कौन चला रहा है। अतः जिस व्यक्ति के कथनों के आधार पर ओमप्रकाश (अ0सा0-07) के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, उस व्यक्ति ने ही अभियोजन का इस बात पर समर्थन नहीं किया है कि उसने स्वयं अभियुक्त को बस क्रमांक एम.पी. 08 पी. 0213 चलाते हुये तथा उसे टक्कर मारते हुये देखा था।
- 20—अनुसंधानकर्ता अधिकारी ओमप्रकाश (अ0सा0-07) का कहना है कि दिनांक 09.02.2012 को उसने अभियुक्त के थाने पर उपस्थित होने एवं वाहन किशोर बस प्रस्तुत करने पर उसे विधिवत् साक्षियों के समक्ष जप्त किया था तथा अभियुक्त को विधिवत् गिरफ्तार भी किया था। अभियोजन की ओर से जप्ति व गिरफ्तारी के साक्षी विनोद शर्मा (अ0सा0-05) व अशोक कुमार (अ0सा0-06) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। जिनमें से विनोद शर्मा (अ0सा0-05) ने अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई जप्ति व गिरफ्तारी की कार्यवाही होने से ही इंकार किया है।
- 21—अशोक कुमार (अ0सा0-06) ने हालांकि बस क्रमांक एम0पी0-08 पी. 0213 किशोर बस अपने सामने जप्त होना बताया है। तथा इस साक्षी का यह कहना है कि मोटर साइकिल चालक ने बस में पीछे से टक्कर मारी थी तथा प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथन के अनुसार घटना के समय वह बायपास चौराहे पर खड़ा था। यह उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम तो घटना बायपास चौराहे की है और न ही यह साक्षी अभियोजन कहानी के अनुसार घटना अनुश्रुत साक्षी है। अतः इस साक्षी के द्वारा दिये कथन मात्र कपोल कल्पित प्रतीत होते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है।
- 22—भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वह कैसी भी हो प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, ऐसी मौखिक साक्ष्य जो किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी या बताये अनुसार न्यायालय में दी जाती हो उसका कोई साक्षिक मूल्य नहीं है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में मात्र प्रहलाद (अ0सा0-01) आहत अशोक कुमार (अ0सा0-02) व महेंद्र अहिरवार (अ0सा0-03) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, जिनमें से महेंद्र अहिरवार (अ0सा0-03) ने अपने कथनों में घटना की जानकारी होने से इनकार किया है तथा इस साक्षी के अनुसार उसने प्रकरण में जप्तशुदा बस को अभियुक्त को चलाते हुये एवं अशोक कुमार (अ0सा0-02) को टक्कर मारते हुये नहीं देखा था।
- 23—अशोक कुमार (अ0सा0-02) व प्रहलाद (अ0सा0-01) के न्यायालय में दिये गये कथन प्रत्यक्ष साक्ष्य होने से इस संबंध में तो ग्राह्य है कि किसी तेज रफ्तार बस ने चंदेरी म्यूजियम के पास अशोक कुमार (अ0सा0-02) जो कि ग्राम नाओनी से लोटकर बॉक्सर मोटरसाइकिल से आ रहा था, को टक्कर मारकर उसे उपहति कारित की थी तथा उक्त उपहति चिकित्सीय साक्ष्य गम्भीर उपहति होना भी प्रमाणित है, परन्तु इन दोनों ही

साक्षियों के द्वारा यह स्वीकार किये जाने से उन्होंने घटना के समय बस का नंबर और ड्रायवर को नहीं देखा था तथा उसकी जानकारी उन्हें बाद में अन्य लोगों से प्राप्त हुई थी, से यह स्पष्ट होता है कि अभिलेख पर इस आशय की कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि घटना दिनांक 15.01.2012 को बस क्रमांक एम. पी. 08 पी. 0213 को अभियुक्त अमोल सिंह के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चला कर अशोक कुमार (अ0सा0-02) की मोटर साइकिल में टक्कर मार कर उसे उपहति कारित की। मात्र फरियादी अशोक कुमार (अ0सा0-02) व प्रहलाद (अ0सा0-01) की अनुश्रुत साक्ष्य जिसका कोई मूल्य नहीं है, के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं।

24—अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक ओमप्रकाश (अ0सा0-07) के द्वारा आहत अशोक कुमार (अ0सा0-02) के द्वारा प्र0डी0-01 के जिन कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, उक्त कथन सर्वप्रथम तो घटना कारित करने वाली बस एवं अभियुक्त के संबंध में स्पष्ट नहीं है, वहीं स्वयं ओम प्रकाश (अ0सा0-02) का यह कहना कि उसने बस का नंबर और बस के ड्रायवर को नहीं देखा था से यह स्पष्ट होता है कि प्र0डी0-01 के कथन जो उसने घटना कारित करने वाली बस के संबंध में दिये हैं, वह उसके स्वयं के द्वारा देखी गई घटना के आधार पर न होकर अन्य व्यक्तियों के बताये अनुसार दिये गये हैं जो कि अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं, जिसके आधार पर प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को घटना कारित करने का दोषी नहीं माना जा सकता है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा घटना के बाद स्वयं अभियुक्त के द्वारा थाने पर बस प्रस्तुत करने पर बस जप्त किये जाने एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी किये जाने मात्र से यह साबित नहीं होता है, घटना अभियुक्त के द्वारा ही कारित की गई थी।

25—परिणाम स्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 15.01.2012 को समय दिन 03:30 बजे स्थान चंदेरी मुंगावली रोड म्यूजियम के पास बस क्रमांक एम.पी. 08 पी. 0213 का परिचालन उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से कर फरियादी अशोक कुमार की मोटरसाइकिल में टक्कर मार फरियादी अशोक कुमार को बांये पैर में अस्थि भंग कारित किया।

26—फलतः अभियुक्त अमोल सिंह पुत्र पूरन सिंह यादव को भा.द.वि. की धारा 279, 338 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त अमोल सिंह पुत्र पूरन सिंह यादव भा.द.वि. की धारा 279, 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

27—अभियुक्त धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा किशोर बस एम0पी0 08 पी0 0213 पूर्व से न्यायालय के आदेश के पालन में वास्तविक पंजीकृत स्वामी राम बल्लभ पण्डा पुत्र रामसेवक की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा वाद मियाद अपील

बल्लभ पण्डा पुत्र रामसेवक की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा वाद मियाद अपील भार मुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)